न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर 64/2005 | तारीख रजू 6.5.2005 | तारीख निर्णय 28.4.2026

1. रामकिशन पुत्र छीतर, गुर्जर नि0 चकछावा तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1.भैरो पुत्र रामकिशन, गुर्जर नि0 चकछावा तह0 गंगापुर सिटी
1/2.नवलकिशोर पुत्र रामकिशन, गुर्जर नि0 चकछावा तह0 गंगापुर सिटी
1/3.धर्मसिंह पुत्र रामकिशन, गुर्जर नि0 चकछावा तह0 गंगापुर सिटी
1/4.रूपसिंह पुत्र रामकिशन, गुर्जर नि0 चकछावा तह0 गंगापुर सिटी
1/5.अमरसिंह पुत्र रामकिशन, गुर्जर नि0 चकछावा तह0 गंगापुर सिटी
2. परसादी पुत्र छीतर, गुर्जर नि0 चकछावा तह0 गंगापुर सिटी
3. प्रभु पुत्र छीतर, गुर्जर नि0 चकछावा तह0 गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. मु0 नर्वदा पत्नि मुरारीलाल, माली नि0 चकछावा तहसील गंगापुर सिटी
2. मु0 इन्द्रा पत्नि कुंजीलाल, माली नि0 चकछावा तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, प्रतिवादी सं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 6 रकबा 1.36 है0, ख0नं0 14 रकबा 0.57 है0, ख0नं0 15 रकबा 0.78 है0, ख0नं0 16 रकबा 0.45 है0, ख0नं0 17 रकबा 3.10 है0, ख0नं0 18 रकबा 0.50 है0, ख0नं0 19 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 20 रकबा 0.09 है0 एवं ख0नं0 47 रकबा 0.54 है0 कुल रकबा 7.76 है0 ग्राम चकछावा तहसील गंगापुर सिटी में है। पूर्व में उक्त भूमि का रकबा 32 बीघा 11 विस्वा था जिसके मुताविक वादीगण की खातेदारी में भूमि 8.15 है0 होनी चाहिए थी परन्तु भू–प्रबन्ध की गलती के कारण 8.15 है0 के स्थान पर वादीगण की खातेदारी में केवल 7.76 है0 रकबा दर्ज किया गया है जो 0.39 है0 कम है। वादीगण की भूमि का रकबा कम दर्ज करने का भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं है। भू–प्रबन्ध विभाग की यह कार्यवाही पूर्णतया अवैधानिक है। वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि का साबिक ख0नं0 8 रकबा 32 बीघा 11 विस्वा ग्राम बाढछावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:08:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

मुताबिक मिलान क्षेत्रफल हाल खसरा नम्बर 14 लगायत 20 व 47 कुल रकबा 7.76 है0 बनाया गया है जबकि साबिक ट्रेस व हाल नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज ख0नं0 17/87 रकबा 0.10 है0 व ख0नं0 47/88 रकबा 0.21 है0 साबिक ख0नं0 8 से बने हैं एवं गलत रूप से प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज किए गए हैं। ख0नं0 17/87 व 47/88 के अतिरिक्त शेष भूमि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा ख0नं0 2, 3, 4, 5, 6, 7 व 10 में मिलाए गए हैं। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा उक्त रकबा कम करने की कार्यवाही अवैधानिक व नियम विरूद्ध है जबकि वादीगण का शुरू से ही 32 बीघा 11 विस्वा पर कब्जा चला आ रहा है। भूमि ख0नं0 17/87 व 47/88 गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो जाने के कारण प्रतिवादीगण वादीगण को इस भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं। दिनांक 18.4.2005 को प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने एलानिया कहा कि अब तक तो हमने तुम्हें फसल काश्त कर लेने दी है परन्तु अब हक तुम्हें फसल काश्त नहीं करने देंगे एवं ख0नं0 47/88 व 17/87 की भूमि पर जबरन काश्त कर लेंगे। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री किया जाकर वादीगण को साबिक ख0नं0 8 रकबा 32 बीघा 11 विस्वा ग्राम बाढ छावा के पूर्ण रकबे का खातेदार घोषित किया जावे। ख0नं0 47/88 व 17/87 वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जावे व शेष रकबे की पूर्ति ख0नं0 2, 3, 4, 5, 6, 7 व 10 ग्राम बाढछावा से की जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण साबिक ख0नं0 8 रकबा 32 बीघा 11 विस्वा की कृषि भूमि जिसका हाल ख0नं0 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 व 47 कुल रकबा 7.76 है0 व ख0नं0 47/88 रकबा 0.21 है0 व 17/87 रकबा 0.10 है0 ग्राम बाढछावा में काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा पैदा नहीं करे, वादीगण को बेदखल नहीं करे ना ही किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए।

प्रतिवादी सं0 1, 2 ने अपने जवाब दावे में अंकित किया है कि ख0नं0 17/87 व 47/88 से वादीगण का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। उक्त भूमि प्रतिवादीगण की खरीदशुदा भूमि है व साबिक ख0नं0 10 रकबा 9 बीघा 3 विस्वा का हिस्सा है। यदि वादीगण का रकबा साबिक की तुलना में कम हुआ है तो वह कहीं दीगर जगह दर्ज कर दिया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:08:05 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज0) गंगापुर सिटी (स0मा0) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

प्रतिवादीगण की ओर वादीगण का कोई रकबा नहीं निकलता है। वादीगण को दिनांक 18.4.2005 को कोई वादकारण पैदा नहीं हुआ है। वादीगण ने गलत आधार पर दावा प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः—

1. आया भूमि साबिक ख0नं0 8 रकबा 32 बीघा 11 विस्वा ग्राम चकछावा वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है जिसके नवीन ख0नं0 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 47 बने हैं जिनका कुल रकबा 7.76 हैक्टर है जो साबिक रकबे से 39 एयर कम है। —वादीगण

2. आया ख0नं0 17/87 रकबा 10 एयर, ख0नं0 47/88 रकबा 21 एयर साबिक ख0नं0 8 से बने हैं परन्तु इन्हें प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम गलत रूप से लगा दिया गया है। —वादीगण

3. आया वादीगण का जो 39 एयर रकबा कम किया गया है उसमें ख0नं0 17/87, 47/88 के अतिरिक्त ख0नं0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 में वादीगण का रकबा शामिल कर दिया गया है। —वादीगण

4. आया वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से लग जाने के कारण प्रतिवादीगण ने दि0 18.4.05 को वादीगण को धमकी दी कि वे वादीगण की उपरोक्त भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे। —वादीगण

5. आया वादीगण ख0नं0 17/87 रकबा 10 एयर, 47/88 रकबा 21 एयर व ख0नं0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 में से 8 एयर भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं। —वादीगण

6. आया भूमि ख0नं0 17/87 व 47/88 प्रतिवादीगण के साबिक ख0नं0 10 रकबा 9 बीघा 3 विस्वा का हिस्सा है, वादीगण की कोई भूमि प्रतिवादीगण के नाम नहीं लगाई गई है फलस्वरूप दावा खारिज योग्य है। —प्रति0 1, 2

7. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल मिलान क्षेत्रफल भू—प्रबन्ध ग्राम बाढ छावा नं0 1 प्रदर्श—1, प्रदर्श—2, प्रदर्श—7, नकल जमाबंदी सं0 2032 से 2035 ग्राम बाढ छावा नं0 1 खाता रामकिशन , परसादी, प्रभू प्रदर्श—3, नकल जमाबंदी सं0 2059 से 2062 ग्राम बाढ छावा नं0 1 खाता रामकिशन, परसादी, प्रभू प्रदर्श—4, नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श—5, नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श—6, नकल जमाबंदी सं0 2059 से 2062 ग्राम बाढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:08:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

छावा नं0 1 खाता नर्वदा व इन्द्रा प्रदर्श–8 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान वादी प्रभूलाल पी0डब्लू0 1 कराए हैं।

जबाब दावा के समर्थन में प्रतिवादीगण ने असल पर्चा लगान भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श डी–1, नकल मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध विभाग प्रदर्श डी–2, नकल जमाबंदी सं0 2051 से 2054 ग्राम बाढ छावा नं0 1 खाता ओमप्रकाश, कन्हैयालाल, मु0 नारानी वगैरा प्रदर्श डी–3, नकल जमाबंदी सं0 2051 से 2054 ग्राम बाढ छावा नं0 1 खाता ओमप्रकाश, कन्हैयालाल, मु0 नारानी वगैरा प्रदर्श डी–4, नकल नामान्तरकरण संख्या 2 दि0 26.6.87 प्रदर्श डी–5, नकल नामान्तरकरण 19 दि0 27.9.86 प्रदर्श डी–6, नकल नामान्तरकरण सं0 18 दिनांक 27.9.86 प्रदर्श डी–7, नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श डी–8, नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श डी–9, नकल जमाबंदी सं0 2063 से 2066 ग्राम बाढ छावा नं0 1 खाता कंचन देवी प्रदर्श डी–10, नकल जमाबंदी सं0 2063 से 2066 ग्राम बाढ छावा नं0 1 खाता नर्वदा, इन्द्रा प्रदर्श डी–11 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान प्रतिवादी इन्द्रा डी0डब्लू0 1 कराए हैं।

बहस विद्धान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई।

वादीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपने जबाब दावा के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में तनकीवाइज निष्कर्ष एवं निर्णय निम्नानुसार है–

तनकी नं0 1:– आया भूमि साबिक ख0नं0 8 रकबा 32 बीघा 11 विस्वा ग्राम चकछावा वादीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है जिसके नवीन ख0नं0 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 47 बने हैं जिनका कुल रकबा 7.76 हैक्टर है जो साबिक रकबे से 39 एयर कम है। ––वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी सं0 2032 से 2035 प्रदर्श–3 के अनुसार भूमि साबिक ख0नं0 8 रकबा 32 बीघा 11 विस्वा ग्राम बाढ छावा नं0 1 वादीगण रामकिशन, परसादी, प्रभू पुत्रान छीतर जाति गुर्जर की खातेदारी में दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1 के अनुसार ख0नं0 8 रकबा 32 बीघा 11 विस्वा के भू–प्रबन्ध में नवीन ख0नं0 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 47 कुल रकबा 7.76 है0 बनाए गए है जो नकल जमाबंदी सं0 2059 से 2062 प्रदर्श–4 के अनुसार वादीगण रामकिशन, परसादी, प्रभू जाति गुर्जर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:08:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट (राज०) सत्यमेव जयते गंगापुर सिटी (राज०)

खातेदारी में दर्ज है। वादीगण की खातेदारी में दर्ज रहे साबिक ख0नं0 8 का रकबा 32 बीघा 11 विस्वा था जिसके मुकाबले वादीगण को नवीन रकबे में भूमि 8..14 है0 मिलनी चाहिए थी जबकि उन्हें भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा 7.76 है0 भूमि खातेदारी में दी गई है जो साबिक रकबे से 0.38 है0 कम होती है। इस प्रकार वादीगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित दस्तावेजात के अनुसार तनकी नम्बर 1 अभिलेख से प्रमाणित होती है फलस्वरूप यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:– आया ख0नं0 17/87 रकबा 10 एयर, ख0नं0 47/88 रकबा 21 एयर साबिक ख0नं0 8 से बने हैं परन्तु इन्हें प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम गलत रूप से लगा दिया गया है। ––वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 के अनुसार ख0नं0 17/87 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 47/88 रकबा 0.21 है0 साबिक ख0नं0 10 मि0 रकबा 9 बीघा 3 विस्वा से बने हैं एवं नकल जमाबंदी सं0 2059 से 2062 प्रदर्श–8 के अनुसार ये खसरा नम्बर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है।

वादीगण का यह कथन है कि ये दोनों खसरा नम्बर गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में लगा दिए गए हैं जबकि प्रतिवादीगण का कथन है कि उन्होने यह भूमि विक्रय पत्र के माध्यम से खरीद की है एवं यह भूमि प्रतिवादीगण के नाम सही रूप से दर्ज हुई है।

इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत असल पर्चा लगान प्रदर्श डी–1 के अनुसार ख0नं0 46, 49, 17/87, 47/88, 48/83 कुल रकबा 2.10 है0 का पर्चा लगान भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा ओमप्रकाश, कन्हैयालाल नावालिग पि0 राधेश्याम नि0 खानपुरबडौदा, मु0 नारानी बेवा राधेश्याम जाति माली नि0 खानपुरबडौदा के नाम जारी किया गया है एवं नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श डी–2 के अनुसार ये सभी खसरा नम्बर साबिक ख0नं0 10 मि0 रकबा 9 बीघा 3 विस्वा से बनाए गए हैं। नकल नामान्तरकरण संख्या 2 दिनांक 26.6.87 प्रदर्श डी–5, नकल नामान्तरकरण संख्या 19 दि0 27.9.86 प्रदर्श डी–6, नकल नामान्तरकरण संख्या 18 दि0 27.9.86 प्रदर्श डी–7 द्वारा यह भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों के माध्यम से विक्रय होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हुई है जो नकल जमाबंदी सं0 2063 से 2066 प्रदर्श डी–10 प्रदर्श डी–11 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:03:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

चूंकि साबिक ख0नं0 10मि0 का रकबा 9 बीघा 3 विस्वा रहा है एवं भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा इसके नवीन नम्बर जो कायम किए हैं उनका कुल रकबा 2.10 है0 बना कर ओमप्रकाश, कन्हैयालाल नावालिग राधेश्याम व मु0 नारानी पत्नि राधेश्याम की खातेदारी में दर्ज किए थे जिन्हें इन खातेदारों द्वारा जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 1 व 2 को विक्रय किए जाने पर यह नम्बर प्रतिवादी सं0 1 व 2 की खातेदारी में दर्ज हुए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार भूमि ख0नं0 17/87 व 47/88 का साबिक ख0नं0 10 मि0 से बनना पाया जाता है एवं साबिक ख0नं0 10 मि0 के साबिक रकबे 9 बीघा 3 विस्वा के बदले में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन नम्बरो में 2.10 है0 भूमि ही दी गई है जो साबिक रकबे से 0.19 है0 भूमि कम है। इस प्रकार प्रतिवादीगण को भूमि विक्रयकर्ता खातेदार ओमप्रकाश, कन्हैयालाल, मु0 नारानी को उनके साबिक नम्बर से भूमि वर्तमान नम्बरो में कम मिली है तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम भूमि विक्रय पत्र के माध्यम से खातेदारी में आई है। फलस्वरूप वादीगण का यह कहना कि भूमि ख0नं0 17/87 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 47/88 रकबा 0.21 है0 गलत रूप से प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम लगा दी गई है, अभिलेख से प्रमाणित नहीं होता है। अतः तनकी नम्बर 2 वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3 :– आया वादीगण का जो 39 एयर रकबा कम किया गया है उसमें ख0नं0 17/87, 47/88 के अतिरिक्त ख0नं0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 में वादीगण का रकबा शामिल कर दिया गया है। ——वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार वादीगण का भू–प्रबन्ध में कम मिला रकबा 39 एयर हाल ख0नं0 17/87, 47/88, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 में मिलना नहीं पाया जाता है। वैसे भी वादीगण ने भूमि ख0नं0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 की वर्तमान व गत जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत नहीं किए हैं। अतः यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित नहीं होने के कारण वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4 :– आया वादीगण की भूमि प्रतिवादीगण के नाम गलत रूप से लग जाने के कारण प्रतिवादीगण ने दि0 18.4.05 को वादीगण को धमकी दी कि वे वादीगण की उपरोक्त भूमि पर जबरन [illegible] करेंगे। ——वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। इस तनकी को प्रमाणित करने के लिए वादीगण ने कोई स्वतंत्र साक्षी के बयान नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:08:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

कराए हैं इसलिए यह तनकी प्रमाणित नहीं होने के कारण वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5 :– आया वादीगण ख0नं0 17/87 रकबा 10 एयर, 47/88 रकबा 21 एयर व ख0नं0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 में से 8 एयर भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज कराने व प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं।

––वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था । तनकी नं0 2, 3 में किए गए विस्तृत विवेचन एवं निर्णय के अनुसार यह तनकी वादीगण के पक्ष में नहीं है। फलस्वरूप यह तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 6 :– आया भूमि ख0नं0 17/87 व 47/88 प्रतिवादीगण के साबिक ख0नं0 10 रकबा 9 बीघा 3 विस्वा का हिस्सा है, वादीगण की कोई भूमि प्रतिवादीगण के नाम नहीं लगाई गई है फलस्वरूप दावा खारिज योग्य है।

––प्रति0 1, 2

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख के अनुसार एवं तनकी नं0 2 में किए गए विस्तृत विवेचन के अनुसार भूमि ख0नं0 17/87 व ख0नं0 47/88 साबिक ख0नं0 10 मि0 रकबा 9 बीघा 3 विस्वा का हिस्सा है। फलस्वरूप यह तनकी अभिलेख से प्रमाणित होने के कारण प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 7 :– अनुतोष ।

तनकीवाइज किए गए विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादीगण का वाद अभिलेख से प्रमाणित नहीं होता है फलस्वरूप वादीगण का वाद अस्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अभिलेख से प्रमाणित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.4.26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:08:05 IST
Reason: SelfAttested

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई **Judi/Civil**

(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी) **Part IV-10**

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. रामकिशन पुत्र छीतर, गुर्जर नि0 चकछावा तह0 गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1.भैरो पुत्र रामकिशन, गुर्जर नि0 चकछावा तह0 गंगापुर सिटी
1/2.नवलकिशोर पुत्र रामकिशन, गुर्जर नि0 चकछावा तह0 गंगापुर सिटी
1/3.धर्मसिंह पुत्र रामकिशन, गुर्जर नि0 चकछावा तह0 गंगापुर सिटी
1/4.रूपसिंह पुत्र रामकिशन, गुर्जर नि0 चकछावा तह0 गंगापुर सिटी
1/5.अमरसिंह पुत्र रामकिशन, गुर्जर नि0 चकछावा तह0 गंगापुर सिटी
2. परसादी पुत्र छीतर, गुर्जर नि0 चकछावा तह0 गंगापुर सिटी
3. प्रभु पुत्र छीतर, गुर्जर नि0 चकछावा तह0 गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. मु0 नर्वदा पत्नि मुरारीलाल, माली नि0 चकछावा तहसील गंगापुर सिटी
2. मु0 इन्द्रा पत्नि कुंजीलाल, माली नि0 चकछावा तहसील गंगापुर सिटी
3. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –64/2005

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अभिलेख से प्रमाणित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.4.2021 को जारी किया गया ।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) गंगापुर सिटी (स०मा०)

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:08:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अर्जीदावा				
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची	
महनताना वकील			महनतानावकील पर	
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय			बाबत इजराय	
हुक्मनामा			हुक्मनामा	
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक	
मीजान			मीजान	

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 16:08:05 IST
Reason: SelfAttested